रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2009/माघ 29, 1930
No. 84] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2009/MAGHA 29, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 97(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची- I में, क्रम संख्या 101 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक	
1	2	3	4	
"102	उच्चतापसह उद्योग	क. उत्सर्जन मानक		
		(i) डाउन ड्राफ्ट भट्टा (ईंधन : कोयला)		
			श्रेणी*	सांद्रण सीमा (मि.ग्रा./ नार्मल घन मी.)
		विविक्त कण	लघु/ मध्यम/बृहत्	350
				न्यूनतम (मीटर)
		चिमनी की ऊँचाई	लघु	15
			मध्यम	18
			बृहत्	21
		(ii) डाउन ड्राफ्ट भट्टा के अलावा (ईंधन) (कायला)		
		श्रेणी*	सांद्रण	सीमा (मि.ग्रा./नार्मल घन मी.)
		विविक्त कण	लघु	300
			मध्यम	200
			बृहत्	150
				न्यूनतम (मीटर)
		चिमनी की ऊँचाई	लघु	15
			मध्यम	18
			बृहत्	21
		(iii) बाक्स, टनल, डाउन ड्राफ्ट भट्टियां आदि (ईंधन : प्राकृतिक गैस/उत्पादक गैस/ एल पी जी अथवा ईंधनों का संयोजन/फर्नेस आइल गौण ईंधन के रूप में)		
		श्रेणी*	सांद्रण	सीमा (मि.ग्रा./नार्मल घन मी.)
		विविक्त कण	लघु	200
			मध्यम/ बृहत्	150 न्यूनतम (मीटर)

IndiaCode

1	2	3	4	
चिमनी की ऊँचाई			लघु	12
			मध्यम	15
			बृहत्	18

	श्रेणी*	उत्पादन (टन प्रति वर्ष)	
	छोटी भट्टी		15000 से कम
	मध्यम भट्टी		15001-50,000
	बृहत् भट्टी		50,000 से अधिक

(iv) रोटेरी भट्टी (ईंधन फर्नेस आइल)

	श्रेणी**	सांद्रण (मि.ग्रा./नार्मल घन मी.)	सीमा
	विविक्त कण	लघु	200
		मध्यम/ बृहत्	150
	चिमनी की ऊँचाई		न्यूनतम (मीटर)
		लघु	35
		मध्यम	45
		बृहत्	60

श्रेणी**	उत्पादन (टन प्रति वर्ष)	
छोटी रोटेरी भट्टी		50 से कम
मध्यम रोटेरी भट्टी		51—100
बृहत् रोटेरी भट्टी		100 से अधिक

टिप्पणी :

(i) विविक्त पदार्थ के सभी मान 6 प्रतिशत कार्बन डॉइक्साइड पर सुधारे जाएंगे ।

(ii) किसी प्रक्रिया अथवा संयंत्र से अस्थायी उत्सर्जन 10 मि.ग्रा./घन मीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए ।

(iii) प्रत्येक चिमनी भवन या शेड अथवा उद्योग में संयंत्र के सबसे ऊँचे बिंदु लेकिन बकेट एलिवेटर, मिलहाउस और वाइब्रेटिंग स्क्रीन को छोड़कर, से कम से कम 2 मीटर ऊँची होनी चाहिए ।

(iv) यदि एक चिमनी में एक से ज्यादा भट्टी जुड़ी हो तब भट्टी की क्षमता को निर्धारित करने के लिए सभी भट्टियों की उत्पादन क्षमता के योग पर विचार किया जाएगा और तदनुसार कुल क्षमता पर निर्भर करते हुए उत्सर्जन मानक और चिमनी की ऊँचाई निर्धारित की जाएगी ।

(v) चिमनी की मानीटरिंग चार्जिंग के समय और चार्जिंग पूरा होने के बाद की जाएगी और इन दो परिणामों का औसत ही उत्सर्जन स्तर के रूप में माना जाएगा ।

1	2	3	4	
			ख. बहिस्राव मानक सांद्रण के लिए सीमित मूल्य (मि. ग्रा./लीटर) पी एच को छोड़कर	
		सतही जल/धारा	म्युनिसिपल सीवर	सिंचाई के लिए भूमि
	पी एच	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0
	तेल और ग्रीस	10	20	10
	बी ओ डी 3 दिन 27°C	30	250	100
	सी ओ डी	250	—	—
	निलम्बित ठोस	100	600	200
	फिनॉल्स	1.0	5.0	—
	सायनाइड (CN के रूप में)	0.2	2.0	0.2
	क्रोमियम (हेक्सावेलेन्ट)	0.1	2.0	1.0
	क्रोमियम (कुल)	2.0	2.0	2.0''

[फा. सं. क्यू-15017/36/2007-सी पी डब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन सं. का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल 1987, सं. का.आ. 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988, सं. का.आ. 3(अ), तारीख 3 जनवरी 1989, सं. का.आ. 190(अ), तारीख 15 मार्च, 1989, सा.का.नि. 913(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 1989, सं. का.आ. 12(अ), तारीख 8 जनवरी, 1990, सं. सा.का.नि. 742(अ), तारीख 30 अगस्त, 1990, सं. का.आ. 23(अ), तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि 93(अ), तारीख 21 फरवरी, 1991, सा.का.नि. 95(अ), तारीख 12 फरवरी, 1992, सा.का.नि. 329(अ), तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. 475(अ), तारीख 5 मई, 1992, सा.का.नि. 329(अ), तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. 797(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 1992, सा.का.नि. 386(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422(अ), तारीख 19 मई, 1993, सा.का.नि. 801(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 176(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 631(अ), तरीख 31 अक्तूबर, 1997, सा.का.नि., 504(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 7(अ), तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 682(अ), तारीख 5 अक्तूबर, 1999, सा.का.नि. 742(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 72(अ), तारीख 6 फरवरी, 2001, सा.का.नि. 54(अ), तारीख 22 जनवरी, 2002, सा.का.नि. 371(अ), तारीख 17 मई, 2002, सा.का.नि. 489(अ), तारीख 9 जुलाई, 2002, सं. का.आ. 1088(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2002 और

IndiaCode

सा.का.नि. 849(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि. 520(अ), तारीख 1 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 92(अ), तारीख 29 जनवरी, 2004, सा.का.नि. 448 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2004, शुद्धि-पत्र सा.का.नि. 520(अ), तारीख 12 अगस्त, 2004, सा.का.नि. 272(अ), तारीख 5 मई, 2005, सा.का.नि. 315(अ), तारीख 16 मई, 2005, सा.का.नि. 546(अ), तारीख 30 अगस्त, 2005, सा.का.नि. 46(अ), तारीख 3 फरवरी 2006, सा.का.नि. 464(अ), तारीख 7 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 640(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2006, सा.का.नि. 566(अ), तारीख 29 अगस्त, 2007, सा.का.नि. 704(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2007, सा.का.नि. 186(अ), तारीख 18 मार्च, 2008, सा.का.नि. 280(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, सा.का.नि. 344(अ), तारीख 7 मई, 2008, सा.का.नि. 414(अ), तारीख 30 मई, 2008, सा.का.नि. 481(अ), तारीख 26 जून, 2008, सा.का.नि. 579(अ), तारीख 6 अगस्त, 2008, सा.का.नि. 600(अ), तारीख 18 अगस्त, 2008 और सा.का.नि. 752(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2008 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2009

G.S.R. 97(E).— In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, after serial number 101 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

S. No.	Industry	Parameter	Standard
1	2	3	4
"102	Refractory Industry	**A. Emission Standards**	
		(i) Down Draft Kiln (Fuel : Coal)	
		Category*	limiting concentration (mg/Nm^3)
		Particulate matter small/ medium/ large	350
			Minimum (metres)
		Stack height small	15
		medium	18
		large	21
		(ii) Other than Down Draft Kiln (Fuel : Coal)	
		Category*	limiting concentration (mg/Nm^3)
		Particulate matter small	300
		medium	200
		large	150
			Minimum (metre)
		Stack height small	15
		medium	18
		large	21
		(iii) Box, Tunnel, Down Draft Kiln, etc. (Fuel : Natural Gas/Producer Gas/ LPG or a combination of Fuels/ Furnance Oil as Secondary Fuel)	
		Category*	limiting concentration (mg/Nm^3)
		Particulate matter Small	200
		medium/ large	150
			Minimum (metre)
		Stack height small	12
		medium	15
		large	18
		Category*	Production (tpa)
		small kiln	<15,000
		medium kiln	15,001—50,000
		large kiln	above 50,000
		iv. Rotary Kiln (Fuel : Furnance Oil)	
		Category**	limiting concentration (mg/Nm^3)
		Particulate matter Small	200
		medium/ large	150
			Minimum (metre)
		Stack height small	35
		medium	45
		large	60
		Category**	Production
		Small rotary kiln	(tpd) <50
		medium rotary kiln larg	51–100
		rotary kiln	above 100

Note :—

(i) All values of particulate matter are to be corrected at 6 per cent Carbon Dioxide.

(ii) Fugitive emission shall not exceed 10 mg/m^3 from any process or plant.

(iii) Each stack shall be at least 2 metre above the top most point of the building, shed or plant in the industry excluding bucket elevator, mill house and vibrating screen.

(iv) If more than one kiln is connected to single stack, sum of the production capacity of all the kilns would be considred for determining the capacity of the kiln and accordingly depending upon the total capacity, emission standard and stack height would be implemented.

(v) Monitoring of stack shall be carried out at the time of charging and after the completion of charging and average of these two results shall be considered as emission level.

1	2	3	4	
			B. Effluent Standards Limiting value for concentration (mg/l except for pH)	
		Inland Surface Water	Public Sewer	Land for Irrigation
	pH	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0
	Oil and Grease	10	20	10
	$BOD_{3\ days,\ 27°C}$	30	250	100
	COD	250	–	–
	Suspended Solids	100	600	200
	Phenols	1.0	5.0	-
	Cyanide as CN	0.2	2.0	0.2
	Cr (Hexa-valent)	0.1	2.0	1.0
	Cr (Total)	2.0	2.0	2.0".

[F. No. Q-15017/36/2007-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E), dated 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* S.O. 433 (E), dated 18th April, 1987, S.O. 64(E), dated 18th January, 1988, S.O. 3 (E), dated 3rd January, 1989, S.O. 190 (E), dated 15th March, 1989, G.S.R. 913(E), dated the 24th October, 1989, S.O. 12 (E), dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742(E), dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E), dated the 16 Jaunary, 1991, G.S.R. 93(E), dated the 21st February, 1991, G.S.R. 95(E), dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329(E), dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475(E), dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E), dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E), dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E), dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E), dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E), dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631(E), dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504(E), dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7(E), dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682(E), dated the 6th October, 1999, G.S.R. 742 (E), dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72(E), dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54(E), dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371(E), dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489(E), dated the 9th July, 2002, S.O. 1088(E), dated the 11th October, 2002, and G.S.R. 849(E), dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520(E), dated the 1st July, 2003, G.S.R. 92(E), dated 29th January, 2004, G.S.R. 448(E), dated the 12th July, 2004, Corrigenda G.S.R. 520(E), dated the 12th August, 2004, G.S.R. 272(E), dated the 5th May, 2005, G.S.R. 315(E), dated the 16th May, 2005, G.S.R. 546(E), dated the 30th August, 2005, G.S.R. 46(E), dated the 3rd Februray, 2006, G.S.R. 464(E) dated the 7th August, 2006, G.S.R. 640(E), dated the 16th October, 2006, G.S.R. 566(E), dated the 29th August, 2007, G.S.R. 704(E), dated the 12th November, 2007, G.S.R. 186(E), dated the 18th March, 2008, G.S.R. 280(E), dated the 11th April, 2008, G.S.R. 344(E), dated the 7th May, 2008, G.S.R. 414(E), dated the 30th May, 2008 and G.S.R. 481(E), dated the 26th June, 2008, G.S.R. 579(E), dated the 6th August, 2008, G.S.R. 600(E), dated the 18th August, 2008 and G.S.R. 752(E), dated the 24th October, 2008.

India Code

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.